

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 19.12.2023

क्रमांक रीडर/2023/7251

प्रार्थीनी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ऊदी पत्नी गोकलाराम जाति जाट निवासी गोकल नगर बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 उमाराम 2 शम्भूराम पिसरान हेमाराम 3 ताजा पुत्र पेमाराम 4 हुकमाराम पुत्र देवाराम 5 गवरी पत्नी देवाराम 6 ज्ञानाराम 7 चिमाराम 8 रेखाराम 9 लिखमाराम पिसरान देवाराम 10 देदाराम 11 गोमाराम 12 निम्बाराम पिसरान मगाराम 13 गूसाई पुत्र रामाराम 14 देदाराम 15 गोरधनराम 16 मोमताराम 17 गिरधारीराम 18 दीपाराम पिसरान भगवानाराम 19 महिपालराम पुत्र खरथाराम 20 झीमोदेवी पत्नी मगाराम 21 धुड़ीदेवी पत्नी चिमाराम 22 खेताराम 23 रावताराम 24 भोमाराम 25 नानगाराम पिसरान चिमाराम 26 देवीलाल 27 बाबूलाल पिसरान जुझाराम 28 सिणगारीदेवी पत्नी जुझाराम 29 गोसाईराम 30 पीराराम 31 मेहराराम पिसरान मेराजराम 32 हेराजराम पुत्र मोडाराम 33 पपूदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी गोकल नगर बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 34 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 132/2023

दिनांक-

06/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोकल नगर पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1809/934 रकबा 6.9525 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1811/934 रकबा 0.6232 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1813/934 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 19.12.2023

क्रमांक :- रीडर/2023/7252-55

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ऊदी पत्नी गोकलाराम जाति जाट निवासी गोकल नगर बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बालोतरा।
4. विप्रार्थी उमाराम पुत्र हेमाराम वगैराह जाति जाट निवासी गोकल नगर बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर